न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–231/17

1. जयनारायण पुत्र मंगला, जाति मीणा, निवासी ग्राम खौरी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र श्योजीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोरी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत झर, जरिये सरपंच, ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

दिनांकः 16.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी के आदेश दिनांक 29.05.2017 (प्रकरण संख्या 6/2007) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 9/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 160 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 13 बिस्वा ग्राम खोरी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज खातेदार है तथा अपीलान्ट ही एकमात्र मंगला का पुत्र है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम खोरी में नही है और ना ही मंगला के श्योजीराम नाम का कोई पुत्र था, इसलिये प्रार्थी अपीलान्ट के हक अधिकार की कृषि भूमि में किसी व्यक्ति का हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन नही होता है, मंगला की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण वैद्य रूप से अपीलान्ट के नाम स्वीकार हुआ था, प्रार्थी अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि पर काबिज है और उसका शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहा है एवं सम्वत् 2030–33 की खसरा गिरदावरी में भी साफ स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भूमि पर अपीलान्ट ही काबिज रहा है। उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मंगला का अपीलान्ट पुत्र है तथा उसने ही अपनी छः बहनों के भात, जामणो, कार–व्यवहार आदि अपीलान्ट जयनारायण द्वारा ही सम्पन्न करवाये गये इस प्रकार मंगला का एकमात्र जायन्दा पुत्र जयनारायण ही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट भंवरसिंह ने एक मियाद बाहर अपील नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 01.12.1975 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के यहॉ लगभग 32 वर्ष बाद पेश की जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के स्वीकार करली। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मंगला का पौत्र मानते हुऐ मनमाने ढंग से जो निर्णय पारित किया है, वह सरासर अवैधानिक है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के नाम दिनांक 01.12. 1975 को ग्रामवासियों के सामने मंगला का एकमात्र पुत्र वारिस होने के कारण मंगला की कृषि भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया था, मंगला के एकमात्र पुत्र जयनारायण था तथा इसके बलावा 6 पुत्रीयॉ भी थी इनके अलावा अन्य कोई वारिस मंगला के नही था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने ग्राम वासियों के प्रभाव में दिनांक 29.05.2017 को जो निर्णय पारित किया है, वह सरासर गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 59 जो दिनांक 01.12.1975 को खोला गया है, वह ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 01.12.1975 की अनुपालना में खोला गया है तथा ग्राम पंचायत की आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील दायर नही की गई है इस कारण से भी नामान्तरकरण संख्या 59 की अपील चलने योग्य नही है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का जवाब भी पेश नही है और ना ही मूल नामान्तरकरण ही तलब हुआ है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पहलुओं को बिना देखे निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम में किसी प्रकार की जानकारी बाबत कोई ठोस व युक्तियुक्त कारण व दिनांक नही बताई है और ना ही नामान्तरकरण संख्या 59 की जानकारी होने व नकल लेने के कारण जानकारी होने का हवाला दिया है, इस कारण से अपील बिना मियाद का तय किये गुणावगुण पर विचार किये जाने योग्य नही थी, लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करके अपना आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो सरासर गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी को बिना सूचना पारित किया गया है, अपीलार्थी पर सम्मन की तामील सम्यक् रूप से नही की गई थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलार्थी द्वारा अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य पर तामील नही हुआ था, उक्त नोटिस पत्रावली पर मौजूद है, अपीलान्ट की अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार से तामील नही हुई तथा ना ही अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलान्ट पर तामील मानी गई है या नही, इस बाबत कोई आदेश नही हुऐ है, इस प्रकार अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही सारी कार्यवाही की गई है, जो विधि अनुसार दूषित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होन के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, दिनांक 29.05.2017 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 59 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार

मंगला का का पौत्र है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा निहित है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में गांव के बुजुर्ग लोगों से मजमेआम में जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की काई त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मजमेआम में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.17 को जारी किया गया है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार मंगला पुत्र छाजू के विरासत का नामान्तरकरण नये सीरे से जांच कर विधिक वारिसान के नाम नये सीरे से निर्णित करने के तहसीलदार बस्सी को रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति तहसीलदार बस्सी द्वारा अभी प्रकरण में मृतक खातेदार मंगला पुत्र छाजू विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही जांच की जानी बाकी है तो ऐसे में अपीलान्ट अपना पक्ष तहसीलदार बस्सी के समक्ष रखकर चाराजोही कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्स द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.17 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.17 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।